न्यायालय विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।

उपस्थितः रोहित सिंह, ... उच्चतर न्यायिक सेवा
आई0डी0 नं0ः यू0पी0 1589

सत्र परीक्षण सं0ः 394/2018

UPLK010085052018

उ0प्र0 राज्य ....अभियोगी

बनाम

राम प्रसाद पुत्र राम नाथ निवासी ग्राम बख्तौरीखेड़ा थाना निगोहा, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ...अभियुक्त

मुकदमा अपराध सं0ः 132/2017

धाराः 306 भा0दं0सं0

थानाः निगोहा, जिला लखनऊ।

घटना की तिथि	12—05—2017
तहरीर प्रेषित करने की तिथि	12—05—2017
अभियोग पंजीकृत करने की तिथि	12—05—2017
विवेचना प्रारम्भ करने की तिथि	12—05—2017
विवेचना समाप्त करने की तिथि	14—02—2018
न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि	24—02—2018
संज्ञान लेने की तिथि	24—02—2018
सत्र सुपुर्द करने का दिनांक	07—04—2018
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने की तिथि	07—07—2018
विचारण प्रारम्भ होने की तिथि	10—06—2024
विचारण समाप्त होने की तिथि	15—05—2026
बहस समाप्त होने की तिथि	18—06—2026
निर्णय की तिथि	22—06—2026

निर्णय

1—पुलिस थाना निगोहा जिला लखनऊ द्वारा विवेचना उपरान्त मुकदमा अपराध सं0ः 132/2018 धाराः 306 भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त राम प्रसाद प्रेषित किया गया, जहां पर संज्ञान लिये जाने के पश्चात मामले को सत्र विचारणीय

पाते हुए दिनांक 07–04–2018 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–25, लखनऊ द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में दिनांक 17–05–2026 को द्वारा अन्तरण स्वरूप यह पत्रावली इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुई।

2–संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा पार्वती देवी पत्नी राम किशुन निवासिनी ग्राम दुल्लापुर थाना गोसाईगंज जिला लखनऊ द्वारा दिनांक 12–05–2017 को थाना स्थानीय में इस आशय की तहरीर दी गयी कि ''मैनें अपनी लड़की गुड़िया की कोर्ट मैरिज 3 माह पूर्व राम प्रसाद पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम बकतौरीखेड़ा मजरा मेहदौली थाना निगोहा लखनऊ के साथ की थी जो कि अपनी ससुराल में थी। दिनांक 12–05–2017 को लगभग अपराहन 1:00 बजे उसे मोबाइल के जरिये जानकारी हुई कि मेरी लडकी गुड़िया ने अपने ससुराल वालों पति राम प्रसाद व जेठ राम सेवक व देवर औतार, सुरेश पुत्रगण रामनाथ व सास हरदेई पत्नी रामनाथ से दहेज के सामान को लेकर परेशान होने से घर में ही छत के कुन्डा से दुपट्टे को फंसा कर फांसी लगा लिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिख कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3–वादिनी मुकदमा पार्वती देवी पत्नी राम किशुन की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना निगोहाजिला लखनऊ में दिनांक 12–05–2017 को समय 13:400 बजे अभियुक्तगण राम प्रसाद पति, राम सेवक जेठ, औतार देवर, सुरेश देवर, हरदेई सास के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0ः 132/2017 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत हुआ एवं विवेचना प्रचलित हुई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचक ने गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा फर्द बरामदगी एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का लोप करते हुये प्रश्नगत प्रकरण में धारा 306 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी करते हुये मात्र अभियुक्त राम प्रसाद के विरूद्ध उर्पयुक्त अपराध में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4–विद्वान अपर मुख्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–25, लखनऊ द्वारा उक्त मामले को सत्र विचारण पाते हुये दिनांक 07–04–2018 को अभियुक्त राम प्रसाद की पत्रावली सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी।

5–दिनांक 07–07–2018 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–6, लखनऊ द्वारा अभियुक्त राम प्रसाद के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये जिससे अभियुक्त द्वारा इन्कार किया गया एवं परीक्षण की याचना की गयी।

6–अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0 1 लगायत पी0डब्लू0 9 को परीक्षित कराया गया है जिनका विवरण निम्नवत है–

क0सं0	साक्षीगण का नाम	साक्षी सं0	कथन दिनांक	अंकित प्रदर्श
1	पार्वती देवी वादिनी मुकदमा	पी0डब्लू0 1	20–07–2018, 06–10–2018, 03–11–2018	प्रदर्श क–1
2	मिथलेश	पी0डब्लू0 2	01–09–2018	
3	अवधेश कुमार	पी0डब्लू0 3	22–02–2019, 02–03–2019	
4	गंगा राम	पी0डब्लू0 4	01–04–2019	प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–2/1,
5	विनय प्रताप सिंह	पी0डब्लू0 5	20–07–2019	प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5
6	डा0 ए0के0 बाजपेयी	पी0डब्लू0 6	29–09–2021	प्रदर्श क–6
7	एस0आई0 प्रमेन्द्र प्रताप सिंह	पी0डब्लू0 7	09–06–2023	प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8
8	निरीक्षक चैम्पियन लाल	पी0डब्लू0 8	11–11–2024	प्रदर्श क–9
9	नवीन कुमार सिंह	पी0डब्लू0 9	13–11–2025	प्रदर्श क–10

7–अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिये अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिनका विवरण निम्नवत हैं–

क0सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रदर्श
1	पी0डब्लू0 1	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1
2	पी0डब्लू0 4	मृतका गुड़िया का पंचायतनामा	प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–2/1
3	पी0डब्लू0 5	चालान नाश	प्रदर्श क–3
4	पी0डब्लू0 5	फोटो नाश	प्रदर्श क–4
5	पी0डब्लू0 5	नमूना मोहर	प्रदर्श क–5
6	पी0डब्लू0 6	मृतका गुड़िया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–6
7	पी0डब्लू0 7	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–7
8	पी0डब्लू0 7	मुकदमे की कायमी	प्रदर्श क–8
9	पी0डब्लू0 8	आरोप पत्र	प्रदर्श क–9
10	पी0डब्लू0 9	घटना स्थल की नक्शा नजरी	प्रदर्श क–10

8–अभियुक्त राम प्रसाद का कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि साक्षियों द्वारा दिया गया बयान गलत है, **परन्तु नोटरी वैवाहिक अनुबन्ध पत्र वाली बात सही है।** उसके अथवा उसके परिवार द्वारा किसी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं मांगा गया। उसके विरूद्ध गलत मुकदमा दर्ज

किया गया। पुलिस अधिकारियों के दबाव में गलत विवेचना की गयी है। विवेचक द्वारा गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। घटनास्थल की नक्शा नजरी गलत बनायी गयी है। वादिनी मुकदमा द्वारा घटनास्थल पर जाने से इन्कार किया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। **उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण उसने मृतका से दूसरा विवाह, वैवाहिक अनुबन्ध पत्र/नोटरी के माध्यम से दिनांक 11–01–2017 को बिना दान दहेज के किया था।** मृतका अपनी माँ के दुर्व्यवहार व **जेवर गिरवी रखने व उलाहना के कारण मृतका ने फांसी लगा कर आत्महत्या** कर ली, जिसे आत्महत्या करने के लिये किसी के द्वारा दुष्प्रेरण नहीं किया गया। मानसिक रूप से अवसाद में होने के कारण अपनी इच्छा से मृतका ने आत्महत्या कर ली। उसके विरूद्ध मुकदमा गलत चला है तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

9–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 पार्वती देवी वादिनी मुकदमा के साक्ष्य में यह आया है कि उसकी लड़की का नाम गुड़िया है जिसकी कोर्ट मैरिज घटना से तीन महीने हाजिर अदालत अभियुक्त के साथ जो ग्राम बक्तौरीखेड़ा मजरा महदौली थाना निगोहा जिला लखनऊ के साथ की थी। यह घटना दिनांक 12–05–2017 की है। समय लगभग 1 बजे उसे जरिये उसके मोबाइल फोन पर सूचना मिली थी कि गुड़िया अपनी ससुराल में खत्म हो चुकी है। इस सूचना पर वह अपनी पुत्री गुड़िया की ससुराल गयी थी। वहाँ देखा कि उसकी पुत्री जमीन में मिट्टी लगाये पड़ी हुई थी। उसने उसे देखा उसके गले में काला निशान पड़ा हुआ था, जिससे उसको यकीन हो गया कि उसकी लड़की गुड़िया को उसके पति राम प्रसाद, जेठ राम सेवक देवर अवतार व सुरेश पुत्रगण राम नाथ व सास हरदेयी ने दहेज न मिलने के कारण उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे जिससे तंग आकर छत के कुन्डे से फंसा कर फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। जिसकी तहरीर लिखवा और पढ़वा कर सुनने के बाद उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था, थाने पर दिया था। पत्रावली में शामिल कागज सं0 अ–5/1 को देख कर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है जिसे उसने थाने पर दिया था। उस पर प्रदर्श क–1 अंकित किया गया। घटना के बाद दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। दरोगा जी को उसने अपनी पुत्री के कोर्ट मैरिज के कागजों की छाया प्रतियाँ दी थी।

10–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 2 मिथलेश पत्नी राम भरोसे के साक्ष्य में यह आया है कि हरदेयी पत्नी राम नाथ निवासी बकतौरी खेड़ा उसकी ननद है। हरदेयी के चार लड़के हैं इनके नाम राम प्रसाद, राम सेवक, औतार व सुरेश है। राम प्रसाद का उसके घर अपने ननिहाल बराबर आना जाना था। राम प्रसाद की पहली शादी रामकली से हुई थी उनसे तीन लड़कियाँ है सोनू, शिवानी, व सुमन है। राम प्रसाद की पहली पत्नी रामकली की मृत्यु हो गयी थी। उसके घर के पड़ोस में पार्वती देवी रहती है जिनकी लड़की गुड़िया से राम प्रसाद की बातचीत होने लगी की गुड़िया पूर्व से शादीशुदा थी उसके एक लड़का व एक लड़की थी। गुड़िया का अपने पूर्व पति से विवाद हो गया था तभी अपनी माँ पार्वती

देवी के साथ रह रही थी। पार्वती देवी ने अपनी पुत्री गुड़िया की कोर्ट मैरिज राम प्रसाद के साथ घटना के तीन महीने पहिले किया था। दिनांक 12—05—2017 को पार्वती देवी उसके पास धर आयी और बताया कि गुड़िया ने फांसी लगा लील है और मर गयी है। फिर वह पार्वती देवी के साथ राम प्रसाद के घर निगोंहा गयी वहॉ पर देखा कि पार्वती की पुत्री गुड़िया घर में मृत अकेले पड़ी थी। घर के लोग कोई मौजूद नहीं थे, फिर पार्वती ने थाना निगोंहा में जाकर रिपोर्ट लिखायी थी कि राम प्रसाद व उसके घर वालों ने मिलकर दहेज के लिये प्रताड़ित किया जिससे तंग आकर छत के कुन्डे से गुड़िया ने फांसी लगा ली। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

11—अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 3 अवधेश कुमार के साक्ष्य में यह आया है कि उसका मोबाइल नंबर 8400492783 है। हम लोग पांच भाई व एक बहन थी। उसकी बहन का नाम गुड़िया था जिसकी पहली शादी नगर के श्याम के साथ हुई थी जिससे दो बच्चे थे। उसके बहनोई कोई कामधाम नहीं करते थे इसलिये छुटाछुटी हो गयी थी। फिर उसने अपनी बहन बुड़िया की शादी कोर्ट मैरिज से राम प्रसाद के साथ कर दी थी। उसकी बहन बिदा होकर राम प्रसाद के घर गयी थी। उसकी बहन जब लौट कर घर आयी तो हम लोगों से बताया था कि उसके पति दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हैं और बताया कि मोटर साइकिल, बक्सा, अलमारी व बेड मांग रहे हैं। उसकी बहन को मारते पीटते हैं। यह बात गुड़िया ने हम लोगों से बतायी थी। तीन महीने बाद उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी बहन ने दहेज के कारण आत्महत्या कर लिया था। यह सूचना उसको उसके मामा के लड़के के रिश्तेदारों द्वारा मिली थी। वह अपनी बहन के ससुराल सूचना मिलने पर पहुॅचा था। **बहन के घर वाले/ससुराल वाले उसके घर पर नहीं मिले थे। लाश घर के अन्दर लिटाई हुई थी।** लाश को उसने देखा था लाश पर उसे कोई निशान नहीं लग रह थे, इसके बाद उसने इसकी सूचना 100 नम्बर डायल कर पुलिस को दिया था। पुलिस बाद में आधा एक घंटे बाद मौके पर गयी थी। पंचायतनामा पुलिस ने मौके पर भरा था, अंगूठा लिया था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था। आपकी बहन ने आत्महत्या क्यों किया था। घरवालों के दबाव एवं दहेज मांगने के कारण आत्महत्या की थी।

12—अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 4 गंगा राम के साक्ष्य में यह आया है कि उसका मोबाइल नं0 80009565646 है। उसके बड़े भाई की लड़की का नाम गुड़िया है उसकी पहली शादी ग्राम पुरसैनी के श्याम से हुई थी उससे दो बच्चे हैं जो एक लड़का एवं एक लड़की है। खाने पीने की तकलीफ के कारण उसका पहले पति से छुट्टी छुट्टा हो गया। दूसरी शादी राम प्रसाद ग्राम बक्तौरीखेड़ा के साथ हुई थी। विदा होकर अपनी ससुराल में तीन महीने तक रही उकसे बाद फोन द्वारा सूचना आयी कि फांसी लगा कर मर गयी है। जब इस सूचना पर हम लोग ग्राम बक्तौरीखेड़ा गये तो गुड़िया का शव जमीन पर लेटाया हुआ था। उसके गर्दन पर लाल फसा हुआ बन्धन था, निशान मौजूद था, जो पूरे गले में था।

देखने के बाद 100 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी गयी थी। मौके पर पुलिस आयी थी मौके पर पड़ी लाश को देखकर पंच नियुक्त कर पंचायतनामा भरने व पढ़ कर सुनाने के पश्चात उस पर उसके दस्तखत कराये थे। साक्षी ने कागज सं0 अ–8/3 लगायत अ–8/4 को देख कर कहा कि यह वही पंचायतनामा है, जो पुलिस ने उसके समक्ष भर कर पढ़ कर सुनाने के उपरान्त उस पर उसके हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाया था। शामिल पत्रावली कागज सं0 अ–8/3 लगायत अ–8/4 है। उस पर प्रदर्श क–2 एवं प्रदर्श क–2/1 अंकित किया गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

13–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 5 विनय प्रताप सिंह भदौरिया के साक्ष्य में यह आया दिया है कि वह दिनांक 12–05–2017 को नायब तहसीलदार निगोहा, मोहनलालगंज लखनऊ में तैनात था। वाद पंजीकरण अपराध हस्व सूचना, नकल रपट सं0ः 32 के आधार पर वह ग्राम बक्तौरीखेड़ा घटना स्थल पर जाकर मृतका गुड़िया के शव का वहॉ उपस्थित लोगों में से पांच लोगो को पंच नियुक्त कर दशा, हुलिया, पहनावा व फोटो का निरीक्षण करते कराते हुये पंचों की राय लेते हुये अपनी राय देते हुये हमराही हे0कां0 हरिकेश बहादुर सिंह को बोल कर पंचायतनामा तथा सम्बन्धित प्रपत्र मुरतब कराया था। पंचायतनामा तथा सम्बन्धित प्रपत्र पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा पर पूर्व से प्रदर्श क–2 एवं प्रदर्श क–2/1 पड़ा है तथा चालान नाश पर प्रदर्श क–3, फोटो नाश पर प्रदर्श क–4 एवं नमूना मोहर पर प्रदर्श क–5 अंकित किया गया। समस्त कागजों पर गवाह पंचायतनामा उसने अपने हस्ताक्षर बनाया था।

14–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 6 डा0 ए0के0 बाजपेयी वर्तमान तैनाती सिविल चिकित्सालय लखनऊ के साक्ष्य में यह आया है कि दिनांक 13–05–2017 को इसी पद पर इसी अस्पताल में नियुक्त था। उसी दिन अर्थात दिनांक 13–05–2017 को समय लगभग 10:50 ए0एम0 दिन में मृतका श्रीमती गुड़िया पत्नी राम प्रसाद निवासिनी ग्राम बक्तौरीखेड़ा थाना निगोंहा जिला लखनऊ उम्र लगभग 30 वर्ष महिला का शव कां0 राम शंकर सिंह एवं कां0 अंकुर वर्मा थाना निगोंहा जिला लखनऊ द्वारा लाया गया। शव की पहचान एवं शिनाख्त करने वाले अवधेश कुमार पुत्र स्व0 राम किशुन एवं गंगा राम पुत्र बबलू द्वारा की गयी। उसके एवं डा0 प्रेम प्रकाश सिविल अस्पताल, लखनऊ द्वारा दिनांक 13– 05–2017 को समय लगभग 3 पी0एम0 दिन में शव विच्छेदन शुरू कर उसी दिन दिनांक 13–05–2017 को समय लगभग 3:30 पी0एम0 पर समाप्त किया गया। उक्त पोस्टमार्टम की वीडियो ग्राफी करायी गयी। वीडियो ग्राफी करने वाले अमिताब सिंह पुलिस कन्ट्रोल रूम कैसरबाग लखनऊ द्वारा की गयी। मृतका का वजन लगभग 58 किलोग्राम एवं ऊॅचाई लगभग 158 सेंटी मीटर थी, जिसकी शारीरिक बनावट मध्यम व औसत थी। मृतका की दोनों आंखे बन्द एवं मुॅह आधा खुला था। जिसका चेहरा, नाखून, दोनों ओठ एवं जुबान नीली पड़ चुकी थी। **एन्टीमार्टम इन्जरी में सिर के पिछले भाग पर एक पायी गयी जिसकी लम्बाई चौड़ाई 9 X 6 सें0मी0 थी।** गले में आबलिक लाइगेचर मार्क 30 X 2 सें0मी0 गले के

चारों तरफ पाया गया जो कि थाइराइड काट्रेज के ऊपर था एवं गले के सामने जो कि आबलिकली एवं बैकवर्ड मेडेविल ब्रोन के साथ साथ जा रहा था, जो कि 2 सें0मी0 लोट्रेल एक्सपेक्ट गले के बांयी साइड पर रूकावट कर रहा था। 2 सें0मी0 नीचे बांये कान तथा 6 सें0मी0 दाहिने कान के ऊपर था। लेगेचर मार्क पीले रंग का, कठोर एवं चमड़े जैसा दिख रहा था। स्यूल कफलेक्स टिशू के नीचे लेगेचर मार्क का रंग सफेद कठोर एवं चमकदार था। सूखी हुई लार का निशान मुॅह के दाहिने एग्गिल पर था। मृतका का विसरा तीन अलग अलग जारों में लिया गया, जिसमें से जार नं0 एक में पेट एवं उसके कांटेन्ट, जार नं0 2 में छोटी आंत का एक टुकड़ा, लीवर, गाल ब्लेडर सहित स्पलिन एवं दोनो किडनी तथा जार नं0 3 में कामन शाल्ट का सैम्पिल। इन तीनों जारों को सील बन्द कर पुसिल के सुपुर्द कर दिया। शव विच्छेदन सं0ः 1703/2017 मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिन था। जिसका तत्कालिक कारण दम घुटना था। जिसके अन्वेषण प्रपत्रों की कुल संख्या 10 थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कापी एवं सील बन्डल कपड़ों का एवं अन्य प्रपत्रों का एवं सील्ड विसरा सारे प्रपत्रों, बन्डल उपरोक्त सभी चीजे आरक्षी अंकुर वर्मा थाना निगोंहा, लखनऊ को सुपुर्द किया था। सील बन्द की संख्या 6 थी। उपरोक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट सं0ः 1703/2017 उसी दिन उसके एवं डा0 प्रेम प्रकाश के द्वारा तैयार किया गया जो उसके एवं डा0 प्रेम प्रकाश के लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है। मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज सं0 ए–8/2 लगातय ए–8/10 है। न्यायालय पत्रावली में संलग्न है उस पर प्रदर्श क–6 अंकित किया गया।

15–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 7 एस0आई0 प्रमेन्द्र प्रताप सिंह के साक्ष्य में यह आया है कि वह दिनांक 12–05–2017 को थाना निगोंहा में कां0 मोहर्रिर के पद पर नियुक्त था। उसके द्वारा वादिनी मुकदमा पार्वती देवी के लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं0ः 132/2017 धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम चिक किता किया था। जिसे उसके द्वारा कां0 हरिओम द्विवेदी को बोल बोल कर कम्प्यूटर पर टाइप कराया था, जो कि कागज सं0 ए–5/1 लगायत ए–5/3 पत्रावली में संलग्न है, जो कि मूल रूप में है। उस पर प्रदर्श क–7 अंकित किया गया। मुकदमे की कायमी कागज सं0 ए–7/6 उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जिसे मूल के साथ कार्बन लगा कर एक ही प्रासेस में तेयार किया गया है। उस पर प्रदर्श क–8 अंकित किया गया।

16–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 8 निरीक्षक चैम्पियन लाल के साक्ष्य में यह आया है कि दिनांक 17–05–2017 को वह थाना निगोंहा लखनऊ में बहैसियत थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उसके द्वारा दिनांक 17–07–2017 को उक्त मुकदमे की विवेचना ग्रहण किया गया। इससे पूर्व केस डायरी का पर्चा सं0 1 लगायत केस डायरी का पर्चा सं0 5 को सी0ओ0 नवीन कुमार सिंह द्वारा किता किया गया है और केस डायरी का पर्चा सं0 6 को थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह द्वारा किता किया गया है। उसके द्वारा केस डायरी का पर्चा सं0

1 लगायत केस डायरी का पर्चा सं0 6 किता किये गये पर्चो का अवलोकन किया गया। उसके द्वारा दिनांक 17–07–2017 को विवेचना ग्रहण करने के दौरान केस डायरी का पर्चा सं0 7 में इससे पूर्व किता किये गये पर्चो का अवलोकन किया है। केस डायरी का पर्चा सं0 8 दिनांक 13–08–2017 को किता किया गया जिसमें ग्रामवासी अशोक कुमार रावत का बयान अंकित किया गया। केस डायरी का पर्चा सं0 9 दिनांक 26–08–2017 को किता किया गया जिसमें ग्रामवासी राम स्वरूप रावत का बयान अंकित किया गया। केस डायरी का पर्चा सं0 10 दिनांक 10–09–2017 को किता किया गया जिसमें ग्रामवासी संगम रावत का बयान अंकित किया गया। केस डायरी का पर्चा सं0 11 दिनांक 10–10–2017 को किता किया गया जिसमें अवलोकन पंचायतनामा मृतका गुड़िया व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। केस डायरी का पर्चा सं0 12 दिनांक 11–10–2017 को किता किया गया जिसमें वादिनी मुकदमा पार्वती का मजीद बयान अंकित किया गया जथा साक्षी अवधेश कुमार, गंगाराम व राम मिलन का बयान अंकित किया गया। केस डायरी का पर्चा सं0 13 दिनांक 13–10–2017 को किता किया गया जिसमें बयान पंचायतनामाकर्ता विनय प्रताप सिंह भदौरिया, बयान पंचायतनामा राम शंकर, भगवान दीन अंकित किया गया। केस डायरी का पर्चा सं0 14 दिनांक 20–10–2017 को किता किया गया जिसमें बयान साक्षी हरिश्चन्द्र अंकित किया गया। केस डायरी का पर्चा सं0 15 दिनांक 09–11–2017 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त की तलाशी किता किया गया। केस डायरी के पर्चा सं0 16, 17, 18 एवं 19 में अभियुक्त की पतारसी व सुरागरसी किता किया गया। केस डायरी का पर्चा सं0 20 दिनांक 30–01–2018 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त राम प्रसाद की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में किता किया गया। केस डायरी का पर्चा सं0 21 दिनांक 14–02–2018 को किता किया गया जिसमें नामित अभियुक्त राम सेवक, राम औतार, सुरेश व हरदेयी की नामजदगी गलत पायी गयी और अभियुक्त राम प्रसाद के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र कागज सं0 अ–4/1 लगायत अ–4/4 मूल रूप से संलग्न पत्रावली है जिसे वह तसदीक करता है। आरोप पत्र पर उसके मूल हस्ताक्षर मौजूद हैं। उस पर प्रदर्श क–9 अंकित किया गया।

17–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 9 नवीन कुमार सिंह वर्तमान तैनाती स्टाफ आफीसर, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ के साक्ष्य में यह आया है कि दिनांक 13–05–2017 को वह मोहनलालगंज में बतौर क्षेत्राधिकारी नियुक्त था। उस दिन उसने मुकदमा अपराध सं0: 132/2017 धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना निगोहा की विवेचना ग्रहण किया तथा उसी दिन केस डायरी का पर्चा सं0 1 किता किया गया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान चिक एफ0आई0आर0 लेखक प्रमेनद्र प्रताप सिंह का दर्ज किया। केस डायरी का पर्चा सं0 2 दिनांक 21–05–2017 को किता किया गया जिसमें वादिनी मुकदमा श्रीमती पार्वती देवी का बयान दर्ज किया तथा

वादिनी मुकदमा की ही निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया, जो कि पत्रावली में कागज सं0 ए–6 के रूप में संलग्न है। जिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है। वह उसके लेख व हस्ताक्षर में है। उस पर प्रदर्श क–10 अंकित किया गया तथा उसी दिन स्वतन्त्र साक्षी नन्कऊ रावत पुत्र स्व0 बिहारी रावत का बयान दर्ज किया। केस डायरी का पर्चा सं0 3 दिनांक 22–05–2017 को किता किया गया जिसमें फील्ड यूनिट लखनऊ द्वारा किये गये घटनास्थल निरीक्षण रपोर्ट का अवलोकन किया तथा नकल किया गया। इसी पर्चे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन प्रति का अवलोकन किया तथा संलग्न केस डायरी किया गया तथा उसी दिन बयान स्वतन्त्र साक्षी अमरेश पासी, शिव प्रसाद यादव, राम भजन, राजा राम पासी का अंकित किया। केस डायरी का पर्चा सं0 4 दिनांक 26–05–2017 को किता किया गया जिसमें ग्रामवासी शिवराज पासी, राम कुमार, राम चन्द्र, राजेश कुमार पासी एवं राम शंकर रावत का बयान दर्ज किया। केस डायरी का पर्चा सं0 5 दिनांक 30–05–2017 को किता किया गया जिसमें साक्षी श्रीमती मिथलेश का बयान अंकित किया गया। समस्त गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का साक्ष्य पाये जाने पर उपरोक्त अभियोग धारा 306 भा0दं0सं0 को तरमीत किया गया तथा अग्रिम विवेचना थाना प्रभारी निगोंहा द्वारा सम्पादित की गयी।

18–न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त पक्ष की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

19–अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के अनुसार अभियोजन द्वारा अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध न केवल दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है, बल्कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्ष्य से भी अभियोजन का मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होता है। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क किया गया कि यदि दहेज मृत्यु, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी में परिभाषित है, के सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति न हो पा रही हो तो भी विवाह के सात वर्ष के अन्दर पीड़िता द्वारा आत्महत्या किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित है एवं यह भी साबित है कि पति तथा उसके नातेदारों द्वारा पीड़िता के साथ क्रूरता की गयी थी तथा ऐसी दशा में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के प्रावधान मामले के तथ्यों पर लागू होगें जो कि किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में न्यायालय द्वारा उपधारणा किये जाने का प्रावधान करती है। मृतका के शव को उतारने के पश्चात मायके वालों की घटनास्थल पर पहुंचने पर ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति के मौके पर मौजूद न होना, मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर के पीछे एन्टीमार्टम चोट का पाया जाना, विवाह के मात्र तीन माह के अन्दर स्वीकृत रूप

से मृतका के जेवर उसके पति द्वारा मकान की छत डलवाने के नाम पर बेच डालना तथा वादिनी मुकदमा/मृतका की मॉ व अन्य साक्षियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना आदि तथ्यों के आधार पर अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

20—इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया गया कि प्रश्नगत मामले में तथाकथित मृतका के आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने सम्बन्धित कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उनके विरूद्ध नहीं है और न ही उसके द्वारा पुलिस के समक्ष कोई जुर्म स्वीकारोक्ति किया गया है। सम्बन्धित थाने की पुलिस ने गुडवर्क दिखाने के आशय से मनगढ़न्त कहानी बना कर फर्जी तरीके से असत्य कथनों के आधार पर उसे उक्त मुकदमे में फंसाया गया है। प्रश्नगत घटना का कोई स्वतन्त्र एवं जन साक्षी नहीं है। अभियोजन द्वारा जो भी साक्षी बनाये गये हैं वे वादिनी मुकदमा के सगे सम्बन्धी व हितबद्ध। अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका के जिन परिवारजनों को साक्ष्य में पेश किया गया है और उनके द्वारा न्यायालय में जो साक्ष्य दिया गया है समस्त साक्ष्य अनुश्रुति साक्ष्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि उनके द्वारा मृतका के बताने के आधार पर बयान दिया गया है न कि स्वयं द्वारा तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह भी कथन किया गया कि चूँकि पक्षकारों के मध्य कोई विधिक विवाह नहीं हुआ था, अतः ऐसी दशा में धारा 113ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध नहीं ली जा सकती है। उक्त के आधार पर अभियुक्त राम प्रसाद द्वारा स्वयं को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्को के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्थायें उद्धत की गयी हैं—

1—1973 लासूट (एससी) 290 काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, निर्णीत दिनांक 24—09—1973———

उक्त विधि व्यवस्था के आधार पर मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि न्याय प्रशासन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जहॉ तक सम्भव हो किसी भी निर्दोष व्यक्ति की गलत दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिये एवं साक्ष्य के आधार पर जहॉ पर किसी मामले में दो मत अपनाया जाना सम्भव हो, ऐसी दशा में उक्त मत को स्वीकार किया जाना चाहिये जो अभियुक्त के पक्ष में हो।

2—(2010) 1 सुप्रीम कोर्ट केसस 707 दाण्डिक अपील सं0ः 2091/2009 अमलेन्दु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, निर्णीत दिनांक 11—11—2009———

उक्त विधि व्यवस्था के आधार पर मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में अभियोजन द्वारा सीधे साक्ष्य के द्वारा अभियुक्त की प्रत्यक्ष भूमिका को साबित किया जाना आवश्यक हो।

3—2013 लासूट (एससी) 455 सुजीत विश्वास बनाम आसाम राज्य, निर्णीत दिनांक 28—05—2013———

उक्त विधि व्यवस्था के आधार पर मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 को ध्यान में रखते हुये मात्र सन्देह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है तथा इसे मामले के साक्ष्य पर आधारित होना आवश्यक है।

21—उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों व तर्को के आलोक में न्यायालय को साक्ष्य का अवलोकन कर अभियुक्त राम प्रसाद की दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति पर विचार करना है। धारा 354(1)2ख द0प्र0सं0 के अधीन सुविधा की दृष्टि से मामले के तथ्यों में इस प्रकरण में निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु उत्पन्न हो रहे हैं:—

1—क्या अभियुक्त द्वारा मृतका गुड़िया को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किया, जिससे उसने दिनांक 12—05—2017 को समय लगभग 13:00 बजे छत के कुन्डे से अपने दुपट्टे से गले में फांसी लगा कर आत्महत्या कारित की गयी?

2—क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के प्राविधान मामले के तथ्यों में लागू होते हैं अथवा नहीं?

3—क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

4—क्या अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं, यदि हॉ तो उक्त अपराध किस दण्ड से दण्डनीय हैं?

22—प्रश्नगत मामले में साक्ष्य का विश्लेषण उपरोक्त अवधारणीय प्रश्नों के विनिश्चय हेतु सर्वप्रथम अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन उभयपक्षों द्वारा की गयी मौखिक बहस को ध्यान में रखते हुये किया जाना आवश्यक है।

<u>23—अवधार्य बिन्दु सं0 1 का निस्तारण</u>

अवधार्य बिन्दु सं0 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त द्वारा मृतका गुड़िया को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किया, जिससे उसने दिनांक 12—05—2017 को समय लगभग 13:00 बजे छत के कुन्डे से अपने दुपट्टे से गले में फांसी लगा कर आत्महत्या कारित की गयी?

24—प्रश्नगत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट इन कथनों के साथ अंकित करायी गयी है कि ''मैनें अपनी लड़की गुड़िया की कोर्ट मैरिज 3 माह पूर्व राम प्रसाद पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम बकतौरीखेड़ा मजरा मेहदौली थाना निगोहा लखनऊ के साथ की थी जो कि अपनी ससुराल में थी। दिनांक 12—05—2017 को लगभग अपराहन 1:00 बजे उसे मोबाइल के जरिये जानकारी हुई कि मेरी लडकी गुड़िया ने अपने ससुराल वालों पति राम प्रसाद व जेठ राम सेवक व देवर औतार, सुरेश पुत्रगण रामनाथ व सास हरदेई पत्नी रामनाथ से दहेज के सामान को लेकर परेशान होने से घर में ही छत के कुन्डा से दुपट्टे को फंसा कर फांसी लगा लिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी।''

25—प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय दिनांक 12—05—2017 को अपराहन 1 बजे के पूर्व दर्शाया गया है जिसकी सूचना वादिनी मुकदमा को मोबाइल फोन के जरिये अपराहन 1 बजे प्राप्त हुई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12—05—2017 को समय 13:00 बजे दर्ज करायी गयी है तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित कराये जाने का तर्क भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की जानकारी होने के तत्काल पश्चात अंकित कराया जाना अभिलेख के आधार पर स्पष्ट है तथा घटनास्थल को लेकर कोई विवाद नहीं पाया जाता है।

प्रश्नगत मामले में वादिनी मुकदमा के साक्ष्य से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि जब वह मृतका की आत्महत्या की सूचना पाकर उसकी ससुराल पहुॅची तब मृतका की डेड वाडी जमीन पर लेटी हुई थी और जमीन पर पड़ी थी एवं वहॉ पर कोई अन्य व्यक्ति (ससुरालीजन) नहीं थे। घटनास्थल से अभियुक्त का फरार हो जाना अभियुक्त का पश्चातवर्ती आचरण होने के नाते सुसंगत तथ्य होगा।

अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा दी गयी मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना से उब कर मृतका गुड़िया ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

26—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण से सम्बन्धित है। आत्महत्या का कृत्य शारीरिक व मानसिक क्रूरता के कारण उत्पन्न हुये मानसिक विचलन के परिणामस्वरूप होता है। धारा 306 भा0दं0सं0 का अपराध गठिति होने के लिये अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया हो ओर उसे आत्महत्या करने के लिये अभियुक्त के द्वारा दुष्प्रेरित किया गया हो।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 में निम्नवत प्रवधान है—

306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण—यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करें, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

इस प्रकार से धारा 306 भा0दं0सं0 के प्रावधान का निरूपण करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा की गयी आत्महत्या यदि दूसरे के द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के फलस्वरूप की गयी है तो उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के कारण, दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी होगा। किसी अपराध को दुष्प्रेरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 में उल्लिखित है।

27—107. किसी बात का दुष्प्रेरण—वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो—

पहला—उस बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा—उस बात को करने के लिसे किसी षड़यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यन्त्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये; अथवा

तीसरा—उस बात के लिये किये जाने के किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साक्ष्य सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1—जो कोई व्यक्ति जानबूझ कर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझ कर छिपाने द्वारा स्वेचछया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2—जो कोई या तो सिकी कार्य के किये जाने के पूर्व या किये जाने के समय, उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

28—शब्द ''उकसाना'' का सामान्य शब्दकोशीय अर्थ कुछ करने को सम्पन्न करना या प्रारम्भ करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एस0सी0सी0 618** के मामले में शब्द ''उकसाना'' को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है—

''उकसाना'' किसी कार्य को करने के लिये उत्प्रेरित करना, अग्रसारित करना, प्रकोपित करना, प्रेरित करनाया प्रोत्साहन देना है।

29—माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **एस0एस0 चीना बनाम विजय कुमार महाजन एवं एक अन्य (2010) 12 एस0सी0सी0 190** के मामले में अवधारित किया गया है कि ''दुष्प्रेरण किसी चीज को करने में व्यक्ति को उकसाने या साशय व्यक्ति की सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त होती है। अभियुक्त की ओर से आत्महत्या कारित करने में उकसाने या सहायता करने के सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता। विधान मण्डल के आशय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किये गये मामलों के निर्णयसार से यह स्पष्ट है कि भा0दं0सं0 की धारा 306 के अधीन व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के क्रम में अपराध कारित करने का स्पष्ट दुराशय होना है। यह ऐसे सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य के होने की भी अपेक्षा करता है, जो मृतक को कोई विकल्प न होने को देखते हुये आत्महत्या कारित करने के लिये अग्रसर करें और वह कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में रखने के लिये आशयित होना चाहिये कि वह आत्महत्या कारित कर ले।''

''उकसाना'' आवश्यक रूप से किसी कार्य को ही किये जाने के लिये किसी सक्रिय सुझाव व समर्थन या प्रोत्साहन की ओर इंगित करता है।

30—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 का सम्यक अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करने के लिये उस व्यक्ति को उकसाया गया है अथवा दुष्प्रेरण के षड़यन्त्र में सहभागिता की गयी है और या किसी अन्य के द्वारा सहायता की गयी है तो यह माना जायेगा कि उस व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरण कारित किया

गया है आत्महत्या हेतु उकसाने के सम्बन्ध में आपराधिक दायित्व के निर्धारण हेतु यह देखा जाना है कि उत्प्रेरित किये जाने का कार्य किस रूप में अभियुक्त के द्वारा कारित किया गया है।

31–विधि व्यवस्था **गांगुली मोहन रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (2010) 1 एस0सी0 सी0 750** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दुष्प्रेरण का अपराधएक मानसिक प्रक्रिया है, जो दुष्प्रेरित व्यक्ति के सम्बन्ध में साशय उसके द्वारा कुछ करने के लिये की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उसका अपराध करने का दुराशय था। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक होता है कि मृतक के द्वारा अभियुक्त की सक्रिय एवं प्रत्यक्ष भूमिका हो, जिसके कारण मतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखायी न देता हो।

32–अपने प्रतिरक्षा में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि मृतका के द्वारा कभी भी अभियुक्त के विरूद्ध दहेज मांगने या प्रताड़ित करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है तथा इस सम्बन्ध में तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0 1 लगायत पी0डब्लू0 3 का बयान अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है।

अभियुक्त का यह कथन प्रतिरक्षा तर्क के रूप में मान्य नहीं है, क्योंकि पति पत्नी के विवाद में पत्नी द्वारा स्वभाविक रूप से अपने प्रताड़ित किये जाने की जानकारी अपने माता पिता या अन्य निकट सम्बन्धियों को दी जायेगी एवं इसे अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में अमान्य नहीं किया जा सकता है।

33–अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया कि धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध सृजन के लिये उकसावे के विशिष्ट कथनों का होना आवश्यक है, परन्तु न्यायालय की राय में उकसावे के विशिष्ट कथनों से अधिक महत्वपूर्ण पक्षकारों का आचरण है। मामले के तथ्यों में अभियुक्त द्वारा अपने कृत्यों से लगातार पीड़िता को उकसाने का कार्य किया गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य विशेष रूप से मृतका की मृत्यु विवाह के तीन माह के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में कारित होना, साक्षी पी0डब्लू0 1 के रूप में मृतका की माता पार्वती देवी तथा तथ्य के दो अन्य साक्षियों जो कि मृतका के निकट सम्बन्धी थे, के द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से मृतका को प्रताड़ित किये जाने की पुष्टि करने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सर के पीछे एक चोट पाया जाना जिसका कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका आदि के आधार पर अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। साथ ही विवाह के मात्र तीन माह के अन्दर पत्नी के जेवर मकान की छत बनवाने के नाम पर बेच डालने के तथ्य, जिसे स्वंय अभियुक्त की ओर से स्वीकार किया गया है तथा मृतका व उसकी मॉ के मध्य विवाद का कारण बताया गया है एवं आत्महत्या के कारण के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है, को भी भरतीय

परिवेश में सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी पति विवाह के तीन माह की अल्प अवधि में सदभावना पूर्वक अपनी पत्नी के जेवर मकान की छत डलवाने के नाम पर नहीं लेगा एवं वास्तविक अर्थो में विवाह के तीन माह के अन्दर पत्नी के जेवर बिना किसी अपरिहार्य कारण के बेच दिया जाना भी दहेज के अर्थो में ही माना जायेगा व इससे विवाह का प्रतिफल ही माना जायेगा। मामले के तथ्यों में यद्यपि यह सम्भव है कि आरम्भ में महिला पति के कहने पर उसे अपना जेवर बेचने देने की अनुमति हेतु तैयार हो गयी हो, परन्तु अपनी मॉ व अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस असामान्य समव्यवहार की ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने पर महिला के द्वारा भी इस समव्यवहार की असामान्यता को महसूस कर लिया गया हो एवं यह तथ्य पति पत्नी के मध्य विवाद का कारण बना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर के पीछे चोट पायी गयी, जो कि फांसी लगाने से आना सम्भव नहीं है, वरन उक्त चोट के आधार पर यह सम्भावना प्रतीत होती है कि किसी विवाद के दौरान पत्नी को उक्त चोट किसी प्रकार से कारित हुई हो। पति के रूप में पत्नी की जिस देखभाल की भारतीय सामाजिक परिवेश में अपेक्षा की जाती है, का भी अभियुक्त द्वारा स्पष्टतया लोप किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के समेकित विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त का कृत्य धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है। अवधार्य बिन्दु 1 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>34—अवधार्य बिन्दु सं0 2 का निस्तारण</u>

अवधार्य बिन्दु सं0 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के प्राविधान मामले के तथ्यों में लागू होते हैं अथवा नहीं?

35—अभियुक्त की ओर से स्वयं यह माना गया है कि मृतका की मृत्यु विवाह के लगभग तीन माह पश्चात हुई है, जो कि सात वर्ष के अन्दर है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क** में प्रावधन है कि ''जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह उपधारण कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गयी थी।''

36—अभियुक्त की ओर से उक्त के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त व मृतका गुड़िया का विधिक विवाह नहीं हुआ था क्योंकि मृतका गुड़िया का अपने पहले पति से कोई विधिक विवाह विच्छेद नहीं हुआ था। घटना के लगभग तीन माह पूर्व आपसी सहमति से अभियुक्त राम प्रसाद और मृतका गुड़िया के मध्य एक अनुबन्ध पत्र तैयार हुआ तथा दोनों पक्ष पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे, परन्तु पक्षकारों का वैध

विवाह न होने के कारण मामले के विवेचक द्वारा धारा 304बी भा0दं0सं0 का लोप करते हुये धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

37—प्रश्नगत मामले में पक्षकारों के मध्य वैवाहिक अनुबन्ध पत्र तैयार होना व तीन माह की समयावधि से पति पत्नी के रूप में साथ रहना बचाव पक्ष को भी स्वीकार है। मृतका गुड़िया व राम प्रसाद सामाजिक रूप से पति–पत्नी के रूप में ही जाने जाते थे तथा दौरान विचारण अभियुक्त द्वारा मृतका को अपनी पत्नी होना अस्वीकार नहीं किया गया है। अभियुक्त की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी एवं अभियुक्त का दूसरा विवाह विधिक रूप से सम्भव था। धारा 113ए का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है जो वैवाहिक सम्बन्ध के अन्तर्गत क्रूरता का शिकार होकर आत्महत्या करने के लिये विवश होती है। यदि इस प्रावधान की अत्यधिक संकीर्ण एवं तकनीकी व्याख्या की जाये, तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को पति के रूप में प्रस्तुत कर महिला के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं, वे मात्र विवाह की तकनीकी त्रुटि का लाभ उठा कर दण्ड से बच निकलेंगे।

38–माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम (2004) 3 एस0सी0सी0 199 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सार यही है कि महिला संरक्षण सम्बन्धी दण्डात्मक प्रावधानों की व्याख्या उनके उद्देश्य को ध्यान में रख कर की जानी चाहिये।

अतः इस न्यायालय का मत है कि अभियुक्त, जिसने मृतका के साथ पति के रूप में जीवन व्यतीत किया, वह केवल विवाह की वैधता पर तकनीकी आपत्ति उठा कर धारा 113ए के प्रभाव से स्वयं को पृथक नहीं कर सकता।

धारा 113ए की उपधारणा का लागू होना–अभियोजन द्वारा निम्न तथ्य सिद्ध यिके गये हैं–

1–मृतका ने आत्महत्या की।

2–आत्महत्या विवाह के लगभग तीन माह के भीतर हुई।

3–मृतका को अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में क्रूरता एवं उत्पीड़न का शिकार बनाया गया।

उपर्युक्त आधारभूत तथ्यों के सिद्ध हो जाने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के अन्तर्गत यह उपधारणा उत्पन्न होती है कि आत्महत्या के लिये अभियुक्त द्वारा दुष्प्रेरण (Abetment) किया गया।

यद्यपि उक्त उपराधणा प्रतिखण्डनीय (Rebuttable) है, तथापि अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कियागया जिससे उक्त उपधारणा का खण्डन हो सके।

अभियुक्त यह स्पष्ट करने में भी असफल रहा है कि ऐसी कौन–सी स्वतन्त्र परिस्थिति थी जिसके कारण मृतका ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये धारा 113ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूर्ण रूप से लागू होगा। अवधार्य बिन्दु 2 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

39—अतः प्रकरण में आये साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण वह छत के कुन्डे से अपने दुपट्टे से गले में फांसी लगा कर आत्महत्या करके अपनी जीवनलीला समाप्त कर लिया। मृतका के द्वारा आत्महत्या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर की गयी है। अतः धारा 113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा को अभियुक्त के द्वारा खण्डित नहीं किया जा सका है।

40—इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, परस्थितियों, साक्ष्यों व उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण सफल रहा है कि अभियुक्त राम प्रसाद के द्वारा मृतका गुड़िया को दहेज के लिये तथा अन्य कारणों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण मृतका आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हुई। अतः अभियुक्त राम प्रसाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

41—अभियुक्त राम प्रसाद पूर्व से जमानत पर है, उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त के जमानतनामें निरस्त किये जातें हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने के लिये पत्रावली अपराहन 12 बजे पेश हो।

(रोहित सिंह)
दिनांक 22—06—2026 विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।
आई0डी0 नं0: यू0पी0 1589

<u>**दण्ड के बिन्दु पर—**</u>

42—दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली पेश हुई। दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

43—दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त राम प्रसाद विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध था एवं उसके द्वारा विचारण में पूर्ण सहयोग किया गया है तथा यह अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धी है। अतः उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कम से कम सजा से दण्डित किया जाए। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त के चार छोटे छोटे बच्चे हैं एवं एक वृद्ध मां है, जो कि पूर्णतया अपने भरण पोषण हेतु अभियुक्त के ऊपर आश्रित है।

44—अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के दुष्प्रेरण के कारण उसकी पत्नी गले में फांसी का फन्दा लगा कर आत्महत्या करके अपनी जीवनलीला समाप्त कर लिया। अभियुक्त के कारित

अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने का तर्क दिया गया है।

45—उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में मैंने पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में दोषसिद्ध राम प्रसाद को सत्र परीक्षण सं0ः 394/2018 मुकदमा अपराध सं0ः 132/2017 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राम प्रसाद को सत्र परीक्षण सं0ः 394/2018 मुकदमा अपराध सं0ः 132/2017 अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0 10,000 रूपये अर्थदण्ड से अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारवास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाती है।

अभियुक्त राम प्रसाद का दण्डादेष वारण्ट जिला कारागार, लखनऊ भेजा जाए। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त राम प्रसाद को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(रोहित सिंह)
दिनांक 22—06—2026 विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।
आई0डी0 नं0ः यू0पी0 1589

निर्णय एवं आदेश आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

(रोहित सिंह)
दिनांक 22—06—2026 विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।
आई0डी0 नं0ः यू0पी0 1589

न्यायालय विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
<u>सी0बी0आई0, लखनऊ।</u>

उपस्थितः रोहित सिंह, ... उच्चतर न्यायिक सेवा
आई0डी0 नं0ः यू0पी0 1589

सत्र परीक्षण सं0ः 394/2018

उ0प्र0 राज्य ....अभियोगी

बनाम

राम प्रसाद पुत्र राम नाथ निवासी ग्राम बख्तौरीखेड़ा थाना निगोहा, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ...अभियुक्त

मुकदमा अपराध सं0ः 132/2017

धाराः 306 भा0दं0सं0

थानाः निगोहा, जिला लखनऊ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राम प्रसाद को सत्र परीक्षण सं0ः 394/2018 मुकदमा अपराध सं0ः 132/2017 अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0 10,000 रूपये अर्थदण्ड से अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारवास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाती है।

अभियुक्त राम प्रसाद का दण्डादेष वारण्ट जिला कारागार, लखनऊ भेजा जाए। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त राम प्रसाद को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(रोहित सिंह)
दिनांक 22–06–2026 विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।
आई0डी0 नं0ः यू0पी0 1589

न्यायालय विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।

दिनांक 22–06–2026

वाद पुकारा गया। पत्रावली निर्णय एवं आदेश हेतु आज नियत है। निर्णय व आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया, जो अलग पृष्ठ पर टंकित है।

आदेश

अभियुक्त राम प्रसाद को सत्र परीक्षण सं0: 394/2018 मुकदमा अपराध सं0: 132/2017 अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0 10,000 रूपये अर्थदण्ड से अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारवास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाती है।

अभियुक्त राम प्रसाद का दण्डादेष वारण्ट जिला कारागार, लखनऊ भेजा जाए। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त राम प्रसाद को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(रोहित सिंह)
दिनांक 22–06–2026 विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।
आई0डी0 नं0: यू0पी0 1589

Digitally signed by Rohit Singh
Date: 2026.06.24 17:20:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court